

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937
No. 799]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/AGRAHAYANA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2015

सं. 26/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.986(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 में नियम 8 में, उपनियम (1क) में "तमिलनाडु राज्य" शब्दों के स्थान पर "तमिलनाडु राज्य तथा संघ शासित पांडुचेरी (यमन तथा माहे को छोड़कर)" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 201/13/2015-सीएक्स-6]

रोहन, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. 04/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) दिनांक 1 मार्च, 2002 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 25/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 के द्वारा, सा.का.नि. सं. 949 (अ), दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 के तहत, संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**New Delhi, the 18th December, 2015**No. 26/2015- Central Excise (N.T)**

G.S.R. 986(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Third Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 2002, in rule 8, in sub-rule (1A), for the words “State of Tamil Nadu”, the words “State of Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry (except Yanam and Mahe)” shall be substituted.

[F. No. 201/13/2015-CX.6]
ROHAN, Under Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number 04/2002-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 143(E) , dated the 1st March, 2002 and last amended by notification number 25/2015-Central Excise (N.T.), dated the 9th December, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 949(E) , dated the 9th December, 2015.